(d) The required details to the extent available would be collected and laid on the Table of the Rajya Sabha.

(e) and (f) The required details to the extent available are given below:

Sl. No.	Name of the Company	Amount assessed (Rs. in lakhs)	Period upto	Amount received (Rs. in lakhs)
1	M/s. Fulford (I) Ltd. . .	194.62	79-80 to 2/84	50.00
2	M/s. Lyka Labs. Ltd. . .	17.47	7/79 to 3/84	1.75
3	M/s. Nicholas Labs. . .	53.03	79-80 to 3/84	..
4	M/s. Biochem Pharma Ltd. .	33.98	79-80 to 3/84	..

(g) The action would be taken as per due process of law to recover the amounts from the formulations.

रसोई गैस के रेगुलेटरों के जारी किए जाने में विलम्ब

1396. श्री सुनिल कुमार पट्टनायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम के रसोई गैस के सिलिण्डरों के वितरक, विशेष रूप से पूर्वी दिल्ली में, गत छः महीनों से उपभोक्ताओं को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के रेगुलेटर समय पर जारी नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेगुलेटरों की समय पर सप्लाई किए जाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) जी, नहीं। कभी-कभी वितरकों के पास प्रेशर रेगुलेटर उपलब्ध न होने के कारण कुछ समय के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा नए एल० पी० जी० कनेक्शन जारी करने में कुछ समय के लिए देरी हो जाती है। ऐसी स्थिति से निपटने तथा रेगुलेटरों की समय पर सप्लाई करने के लिए कारपोरेशन ने जो कदम उठाए हैं उनमें ये शामिल हैं :-

(1) स्टाक पांइटों पर रेगुलेटरों की संख्या बढ़ाना।

(2) दूसरे वितरक से स्टाक का अन्तरण; और

(3) रिजर्व स्टाक बनाना।

खाना पकाने की गैस के वितरकों के विरुद्ध शिकायतें

1397. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय तेल निगम को खाना पकाने की गैस के वितरकों के विरुद्ध उपभोक्ताओं तथा विभिन्न समितियों की ओर से कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) ऐसी शिकायतों के सम्बन्ध में (दिल्ली सहित) राज्यवार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन शिकायतों में से प्रत्येक के आधार पर निगम द्वारा कोई कार्यवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिये) ।

(ग) एल०पी०जी० वितरकों के बारे में प्राप्त सभी शिकायतो की तत्काल जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है दोषी वितरक के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अनुसार उचित कार्यवाही की जाती है ।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या	
		1987–88	1988–89
1	आन्ध्र प्रदेश	288	79
2	अरुणाचल प्रदेश	9	15
3	असम	300	330
4	बिहार	635	482
5	गोआ	—	—
6	गुजरात	679	223
7	हरियाणा	204	1165
8	हिमाचल प्रदेश	227	99
9	जम्मू और कश्मीर	36	2
10	कर्नाटक	287	107
11	केरल	397	323
12	मध्य प्रदेश	204	341
13	महाराष्ट्र	35	32
14	मणिपुर	18	11
15	मेघालय	42	56
16	मिजोरम	14	24
17	नागालैण्ड	8	24
18	उड़ीसा	77	310
19	पंजाब	257	193
20	राजस्थान	1101	229
21	सिक्किम	—	—
22	तमिलनाडु	593	254
23	त्रिपुरा	72	31
24	उत्तर प्रदेश	6958	1409
25	पश्चिम बंगाल	9662	1491
संघ राज्य क्षेत्र			
26	अण्डमान और निकोबार	—	—
27	चंडीगढ़	126	182
28	दादरा और नागर हवेली	—	—
29	दिल्ली	911	1870
30	दमण और दीव	—	—
31	लक्षद्वीप	—	—
32	पांडिचेरी	—	—
	जोड़	23,140	9,382